

न्यायालय: श्री कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-921/2010
 संस्थित दिनांक-03.12.2010
 फाईलिंग क्र. 234503000042010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-नेतराम पटेल पिता स्व. जागेश्वर पटेल, उम्र-58 वर्ष,
 निवासी-केन्द्रीय जेल जबलपुर,
 जिला जबलपुर (म.प्र.)

// निर्णय //

(आज दिनांक-27/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-23.09.2010 को करीब 4:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत उपजेल बैहर में फरियादी भीकमचंद साहू, जो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, तब कर्तव्य के विधिपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर, कार्य से भयोपरत करने के लिए उसे मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भीकमसिंह साहू ने पुलिस थाना बैहर आकर दिनांक-23.09.2010 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सहायक जेल अधीक्षक के पद पर वर्ष 2008 से उपजेल बैहर में पदस्थ है। दिनांक-23.09.2010 को वह अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था, तभी नेतराम पटेल वरिष्ठ प्रहरी उसके कार्यालय में आया और उससे 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगने लगा। उसने 10 दिन का अवकाश स्वीकृत नहीं करने के संबंध में जब आरोपी को इंकार किया तो आरोपी ने उससे अभद्रता की और उसके साथ गाली गलौज कर लाठी से मारने का प्रयास किया। गाली गलौज सुनकर जेल में पदस्थ अन्य प्रहरी मौके पर आ गए तब आरोपी नेतराम पटेल ने जूते से उसके सिर और कान के पास मारा जिससे उसे चोट आई थी। गाली गलौज सुनकर उसे बुरा लगा था। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-96/10 अंतर्गत धारा-294, 323 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गए। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-353, 332 का ईजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 353, 332 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा-294, 353 भारतीय दण्ड संहिता विलोपित किये जाने से आरोपी का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के अंतर्गत किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-23.09.2010 को करीब 4:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत उपजेल बैहर में फरियादी भीकमचंद साहू, जो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, तब कर्तव्य के विधिपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर, कार्य से भयोपरत करने के लिए उसे मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी भीकमसिंह (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक-23.09.2010 की प्रातः 9:30 बजे की है। वह अपने कार्यालय में बैठकर शासकीय कार्य कर रहा था। घटना के समय आरोपी वरिष्ठ प्रहरी के पद पर उपजेल बैहर में पदस्थ था। आरोपी ने उससे 10 दिन का आकस्मिक अवकाश की मांग की तो उसने आरोपी को कहा कि रामजन्म भूमि का फँसला आने वाला है इसलिए उसे 10 दिन का आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर आरोपी ने उससे कहा कि यदि अवकाश नहीं देगा तो उसके बाप से ले लेगा। उसने आरोपी को बाहर जाने के लिए कहा तो आरोपी ने उसे ऑफिस में रखे डण्डे से मारने का प्रयास किया। प्रहरी सुरेश कुमार एवं प्रताप सिंह मरकाम, जो कक्ष में उपस्थित थे, ने मिलकर आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने अपना दाँए पैर का जूता उतारकर उसे सिर पर मार दिया, जिससे उसे बाँए कान एवं कनपटी पर चोट आई थी। उसके बाद प्रहरी सुरेश तथा मदन ने आरोपी को कार्यालय से बाहर निकाल दिया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में दर्ज कराई जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 उसके समक्ष तैयार किया था। उसने अपने बयान पुलिस दर्ज कराए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट 11-12 बजे दिन में की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट 4 बजे लेख की थी, इसका वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अवकाश आवेदनपत्र के संबंध में उसने स्वयं आरोपी को अपने कार्यालय बुलाया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने स्वयं आरोपी को गाली-गलौज कर आरोपी को बाहर जाने के लिए कहा

था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की थी।

6— अभियोजन साक्षी सुरेश कुमार (अ.सा.5) ने कहा है कि वह दिनांक-23.09.2001 को उपजेल बैहर में मुख्य प्रहरी के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को आरोपी छुट्टी का आवेदन लेकर आया था और जेल अधीक्षक से छुट्टी मांग रहा था। जेलर साहब ने मदन परस्ते को कहा था कि आरोपी नेतराम पटेल को बुलाकर लाओ, तब आरोपी ने कहा था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। इस बात पर जेलर साहब ने रजिस्टर देखकर छुट्टी का मिलान करने के लिए कहा था तब उसने मिलान करके जेलर को बताया था कि आरोपी की छुट्टी शेष है और वह यह कहकर कार्यालय से बाहर आ गया था। अभियोजन साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि जब वह कार्यालय गया था तो आरोपी नेतराम पटेल के हाथ में डण्डा था और उसने जूते से फरियादी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने गाली गलौज सुनी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस ने उसका बयान लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वह अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था।

7— अभियोजन साक्षी मदनसिंह (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना के समय वह जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ था। उसकी ड्यूटी मेन गेट पर थी। फरियादी भीकमसिंह अपने कार्यालय में बैठा था तभी जोर-जोर से आवाज आई, जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात की जानकारी नहीं होना व्यक्त किया कि आरोपी नेतराम पटेल अवकाश का आवेदन लेकर जेलर के पास गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि फरियादी भीकमसिंह ने उससे बोला था कि वह आरोपी नेतराम पटेल को बुलाकर लाए। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने आरोपी को पकड़कर बाहर निकाला। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी तथा फरियादी की क्या बातें हो रही थी, इसकी उसे जानकारी है।

8— अभियोजन साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी तथा फरियादी दोनों को जानता है। घटना वर्ष 2010 की सुबह लगभग 10 बजे की है। घटना के समय वह ड्यूटी पर था, तभी उसे आवाज आई बाहर निकालो। जब फरियादी भीकमसिंह के कार्यालय में गया तो उसने देखा कि प्रहरी सुरेश, मदनसिंह एवं आरोपी हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए थे। आरोपी नेतराम पटेल, सुरेश एवं मदनसिंह लकड़ी पकड़े हुए थे, तब उसने तीनों को बाहर किया। उसने आरोपी एवं फरियादी को बाहर भेज दिया था, आरोपी एवं फरियादी का किस बात को लेकर विवाद हुआ था, यह उसने नहीं देखा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने यह सुना

था कि आरोपी फरियादी को छुट्टी नहीं देने की बात को लेकर धमका रहा था।

9— अभियोजन साक्षी रविनाथ मिश्रा (अ.सा.6) ने कहा है कि वह दिनांक-23.09.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-96/10, धारा-294, 323 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक-03.11.2010 को आरोपी नेतराम पटेल को धारा-353, 332 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैठकर अपने मन से की थी।

10— डॉ.एन.एस. कुमारे (अ.सा.3) ने कहा है कि वह दिनांक-23.09.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक ज्ञानसिंह द्वारा भीकमचंद को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाए जाने पर आहत का परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण पश्चात् साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके परीक्षण से 12 घंटे के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को बाहर की ओर कोई कटा-फटा घाव नहीं था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह उपजेल बैहर में आंशिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रत्येक रविवार उसका जेल आना-जाना होता है।

11— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में फरियादी भीकमसिंह के कथन पर विचार किया जाए तो उसका कहना है कि आरोपी 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगने आया था और उसके मना करने पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और डण्डे से मारपीट करने का प्रयास किया। इसके पश्चात् आरोपी ने जूता उतारकर उसे सिर पर मारा था। घटना के समय प्रहरी सुरेश तथा मदनसिंह ने बीच बचाव किया था और वे आरोपी को कार्यालय के बाहर लेकर गए थे। अभियोजन साक्षी सुरेश अ.सा.5 ने फरियादी के कथनों के विपरित यह कहा है कि उसने आरोपी की छुट्टी की रिपोर्ट देखकर फरियादी को बताया था कि आरोपी का अवकाश शेष है तथा फिर वह बाहर कार्यालय में चला गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को डण्डा मारने उठाया था और जूते से आरोपी ने फरियादी को मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार

किया है कि नेतराम पटेल अपनी ड्यूटी पर चला गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि फरियादी एवं आरोपी के बीच में क्या बात हो गई थी। अभियोजन कहानी के विपरीत साक्षी मदनसिंह (अ.सा.4) ने यह कहा है कि घटना के समय वह मेन गेट पर ड्यूटी पर था, उसे जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई थी, परंतु आवाज क्या थी, उसे समझ नहीं आया था। अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने फरियादी भीकमसिंह के कथनों का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में फरियादी भीकमसिंह के कथनों का समर्थन उपरोक्त अभियोजन साक्षी मदनसिंह (अ.सा.4) एवं सुरेश (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण नहीं किया है, जबकि यह साक्षी प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है। उल्लेखनीय है कि भीकमसिंह उपजेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ था, जबकि वहां आरोपी प्रहरी के पद पर पदस्थ था। ऐसी स्थिति में फरियादी के कथनों पर पूर्णतः विश्वास करना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसने प्रहरी सुरेश, मदनसिंह तथा आरोपी जो की लकड़ी पकड़े हुए था, उनको कार्यालय से बाहर निकाला था, परंतु आरोपी और फरियादी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बात की जानकारी उसे नहीं है, परंतु उसने यह भी कहा है कि उसे किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं है एवं प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय जेलर फरियादी भीकमसिंह जोर-जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि आरोपी को बाहर निकालो और उसने उसे मारपीट वाली बात नहीं बताई थी। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के कथन में घटना को लेकर घटना के विवरण में महत्वपूर्ण विरोधाभास है, इसलिए यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13— आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

**बैहर
दिनांक-27.05.2016**

**(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट**

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)